हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31मई,1999

संख्या सी:का:नि.53/ह.अ.15/1979/धा.4,5 तथा 16/99-हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा-सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम 15) की धारा 4 तथा 5 तथा धारा 16 की उपधारा (2)के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सम्बद्ध महाविद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) नियम 1999 कहे जा सकते है।

(2) ये मई,1998, के 11वें दिन से लागू हुए समझे जायेंगे।

परिभाषायें।

2 इन नियमों में जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सहायता प्राप्त स्वीकृत पद " से अभिप्राय है, पद जिसके लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, द्वारा सहायता अनुदान अनुज्ञात है;

(ख) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम,1979(1979 का अधिनियम 15);

(ग) "विभाग" से अभिप्राय है, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा;

(घ) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक उच्चतर शिक्षा;

(ङ) पेंशन के प्रयोजन के लिए "उपलब्धियां" से अभिप्राय है, मूल वेतन जमा विशेष वेतन तथा निजि वेतन यदि कोई हो;

(च) "निधि" से अभिप्राय है, पेंशन निधि;

(छ) "प्रारूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप;

(ज) "वेतन" से अभिप्राय है, किसी कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित रूप में मासिक ली गई राशि:

(i) विशेष वेतन अथवा उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं के लिए दिए गए वेतन से भिन्न वेतन, जो उस द्वारा मूल रूप में अथवा किसी स्थानापन्न हैसियत में धारण किए गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है अथवा जिसके लिए वह हकदार है;

(ii) विशेष वेतन तथा निजि वेतन, यदि कोई है;

(111) कोई अन्य उपलब्धियां, जो सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकार द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की जाए; तथा

(ज्ञ) "पेंशन " से अभिप्राय है, ऐसी राशि जो कोई कर्मचारी अधिवार्षिता की आयु पूरी करने पर उपदान सहित पेंशन के रूप में प्राप्त करे;

(ञ) "अर्हक सेवा" से अभिप्राय है, ऐसी सेवा जो इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक बनाती है इसकी संगणना पूर्ण छमाही के रूप में की जाएगी, परन्तु यह कि तीन मास या उससे अधिक अवधि को पूर्ण आधा वर्ष के रूप में माना जाएगा । तथापि, अर्हक सेवा की गणना कर्मचारी द्वारा अंशदान भविष्य निधि में अंशदान शुरू करने की तिथि से हिसाब में ली जाएगी ।

(ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 1979 (1979 का अधिनियम 15) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई सेवा ;

(ठ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979, में दिए गए हैं ।

अध्याय 11

लागुकरण। धारा 4 तथा 16

(3) (1) किसी नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, तथा इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सहायता प्राप्त महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति प्रारूप-1 में एक करार निष्पादित करेगी जो इन नियमों के उपबन्धों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रारूप-11 में दी गई वचनबद्धता तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के पालन करने के प्रबन्धन समिति के किसी प्रस्ताव द्वारा सम्यक् रूप में समर्थित होगा। ये नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो,-

(क) मई 1998, के 11वें दिन को अथवा उस तिथि को पश्चात सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त किए गए हैं; तथा

(ख) मई 1998 के 11वें दिन से तुरन्त पूर्व सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर कार्यरत थे तथा तत्पश्चात इसी प्रकार निरन्तर कार्यरत हैं :

परन्तु सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी-

(1) मई 1998, के 11वें दिन से पूर्व जो उसको या उसके बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्त करेंगे (जिन्हें इनमें, इसके बाद "विद्यामान कर्मचारी" निर्दिष्ट किया गया है); तथा

(11) मई 1998, के 11वें दिन को अथवा उसके बाद, तथा इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व जिन्हें इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की

तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर विकल्प देने का अधिकार होगा कि क्या इन नियमों द्वारा शासित किए जाते है या नहीं ।

(2) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(1) सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों के विरूद्व अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी;

(11) सरकार द्वारा स्वीकृत न किए गए पदों के विरूद्व नियुक्त किए गए कर्मचारी;

(111) ऐसे कर्मचारी जो मई, 1998, के 11वें दिन से पूर्व स्वीकृत पदों से सेवा निवृत हो गए हैं तथा ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उक्त तिथि से पूर्व अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है सिवाए उनके जिनका विभाग ने स्वीकृत पदों पर अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवाकाल बढ़ दिया है; तथा

(IV) कर्मचारी जो अवकाश अन्तराल व्यवस्था या तदर्थ आधार पर या संविदात्मक आधार पर नियोजित किए गए हैं ।

4. मई 1998, के 11वें दिन से, इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक उन कर्मचारियों में से ऐसे जो इन नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प देते हैं वे सरकार को 12/. वार्षिक दर पर ब्याज सहित नियोजक अंश की पूरी राशि जमा करवाने के लिए अपेक्षित होंगे ।

नियोजक के अंश की राशि की वापसी का उत्तरदायित्व। धारा 4 तथा 16

सेवा निवृत्ति लाभ।
धारा 4 तथा 16

5. इन नियमों के अधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्ति लाभांश अनुज्ञेय होंगे, अर्थात :–

1. पेंशन
   (क) अधिवार्षिता पेंशन
   (ख) अशक्तता पेंशन;
   (ग) प्रतिपूर्ति पेंशन; तथा
   (घ) सवैच्छिक सेवा निवृत्ति पेंशन/अनिवार्य सेवा–निवृत्ति पेंशन ।

2. मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान ।
3. सेवा उपदान ।
4. पारिवारिक पेंशन ।

अध्याय 111

अहर्क सेवा ।
धारा 4 तथा 16

6. इन नियमों के अधीन सेवा निवृत्ति लाभांशों के लिए किसी कर्मचारी की सेवा निम्न प्रकार से अर्हक होगी :–

(1) सहायता–अनुदान के लिए अनुज्ञात अनुमोदित पद पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर की गई सेवा;

(11) ग्रुप घ कर्मचारियों की दशा में, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की गई सेवा; तथा अन्यों की दशा में अठावन वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की गई सेवा;

(111) बिना वेतन अवकाश तथा निलम्बन अवधि, अवकाश से अधिक अनुपस्थिति जो बाद में नियमित न की गई हो तथा सेवा में खंडता को छोड़कर, हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) नियम, 1979, तथा समय–समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन अनुज्ञेय अवकाश;

(IV) उसी प्रबन्धन के अधीन सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे एक अथवा इससे अधिक प्राइवेट सम्बद्ध महाविद्यालयों में की गई सेवातथापि अन्य महाविद्यालयों में की गई सेवा पेंशन के लिए गिनी नहीं जाएगी।

अवरोध की माफी। धारा 4 तथा 16

7 कर्मचारी के सेवा अभिलेख में विशेष निदेश के प्रतिकूल न होते हुए, उसी प्रबन्धन के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं की समय अवधि के बीच कोई अवरोध निदेशक के अनुमोदन से माफ किया जा सकता है तथा सेवा निवृत्ति लाभाशों के लिए अर्हक सेवा के रूप समझा जाए ; परन्तु सेवा से त्याग पत्र, पदच्युति, हटाने द्वारा अथवा हडताल में भाग लेने के कारण अवरोध माफ नहीं किया जाएगा ।

पेंशन के लिए हकदारी। धारा 4 तथा 16

8. इन नियमों के अधीन कोई कर्मचारी केवल दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद ही पेंशन के लिए हकदार होगा।

अधिवर्षिता पेंशन। धारा 4 तथा 16

9. (1) इन नियमों के अधीन ग्रुप घ कर्मचारी से भिन्न कोई कर्मचारी, तिथि जिनको वह अटठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अधिवार्षिता पेंशन का हकदार होगा ।

(2) कोई ग्रुप घ कर्मचारी, तिथि जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अधिवार्षिता पेंशन का हकदार होगा ।

(3) पेंशन, अन्तिम दस मास के औसत वेतन के पचास प्रतिशत की दर पर संगणित की जाएगी । पूरी पेंशन के लिए स्वीकार्यता तेतीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने पर होगी । पेंशन की राशि सेवाकाल द्वारा अवधारित की जानी है । इस प्रयोजन के

लिए अर्हक सेवाकाल पूर्ण छमाही अवधि के रूप में संगणित किया जाएगा तथा तीन मास के बराबर या इससे अधिक किसी वर्ष का भाग पूर्ण छमाही अवधि के रूप में माना जाएगा । यह फार्मूला निम्न प्रकार से होगा :—

पेंशन=10 मास की औसत उपलब्धियां X अर्हक सेवा (पूर्ण छमाही अवधि के रूप में संगणित की जा गी)

2 66

यदि 33 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए इस प्रकार संगणित की गई पेंशन 1275/– रूपये (केवल एक हजार दो सौ पचहतर रूपये) से कम होती है तो उसे सभी मामलों में 1275/– रूपये (केवल एक हजार दो सौ पचहतर रूपये) तक बढा दी जाएगी ।

अशक्तता पेंशन । धारा 4 तथा 16

10. (1) ऐसे कर्मचारी जो शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के कारण सेवा के लिए शारीरिक रूप से अशक्त घोषित किए जाते हैं, उन्हें अशक्तता पेंशन दी जाएगी।

(2) अशक्तता पेंशन के लिये आवेदन करने वाला कोई कर्मचारी, किसी चिकित्सा बोर्ड से, जिसमें जब कभी किसी महिला कर्मचारी का निरीक्षण किया जाना हो, एक महिला चिकित्सक भी उसके सदस्य के रूप में शामिल होगा, असमर्थता का एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) सेवा के लिये असमर्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि आवेदक चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख उसे उपस्थित होने के लिए निदेश देते हुए, निर्देशक से प्राप्त कोई पत्र प्रस्तुत न करे। चिकित्सा बोर्ड को, निर्देशक द्वारा आवेदक

की आयु के सम्बन्ध में उसकी सेवा पुस्तिका में यथा अभिलिखित एक विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) आवेदन के साथ, चिकित्सा मामले तथा किये गये उपचार का एक संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जायेगा।

(5) साधारण प्रमाण पत्र , कि अकुशलता वृद्धावस्था या बढ़ती आयु से प्राकृतिक ह्रास के कारण है, किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में पर्याप्त नहीं होगा जिसकी अभिलिखित आयु पचपन वर्ष से कम है।

(6) कर्मचारी, जिसे अशक्त घोषित किया गया है, चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित किये जाने की तिथि से ड्यूटी से भारमुक्त कर दिया जाएगा।

प्रतिपूर्ति पेंशन। धारा 4 तथा 16

11. यदि कोई कर्मचारी किसी पूर्णकालिक स्वीकृत पद की समाप्ति के कारण प्रबन्ध समिति द्वारा सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है, तो तब जब तक उसे किसी अन्य पद पर,जिसकी शर्तें कम से कम उसके अपने पद के समान समझी जाती है, नियुक्त नहीं कर दिया जाता, उसके पास निम्नलिखित विकल्प होगा:-

(क) प्रतिपूर्ति पेंशन अथवा उपदान लेने का जिसके लिये पहले की गई सेवा के लिये वह हकदार है; अथवा

(ख) उसी प्रबन्ध समिति के अधीन कोई अन्य पद स्वीकार करने का, जिसके लिये वह निर्धारित योग्यतायें पूर्ण करता है यदि नियुक्ति प्रस्ताव किया जाता है तथा उसके द्वारा पूर्ण की गई सेवा को पेंशन के लिये संगणना

के लिये जारी रखने का विकल्प होगा।

स्वैच्छिक/ अनिवार्य सेवा निवृत्ति।
धारा 4 तथा 16

12. (1) सेवा निवृति पेंशन तथा सेवा निवृति उपदान ऐसे कर्मचारी को दिया जाएगा जो उत्तरवर्ती उपनियम में यथा उपबन्धित अर्हक सेवाकाल के अनुसार स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत होता है या अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किया जाता है।

(2) कारण अभिलिखित करते हुए यदि प्रबन्ध मंडल की राय है कि किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करना लोकहित में है, तो, उस सम्बद्ध कर्मचारी को लिखित रूप में एक पूर्व नोटिस देकर जो तीन मास से कम न हो, उस तिथि को जिसको वह अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे करता है या उसके बाद किसी अन्य तिथि को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए , उसे सेवा निवृत्त करने का अधिकार होगा: परन्तु जहाँ तीन मास का नोटिस नहीं दिया गया है या तीन मास से कम अवधि के लिये नोटिस दिया गया है या ऐसी अवधि के लिये जितनी के लिये ऐसा नोटिस तीन मास से कम पड़ता है, जैसी भी स्थिति हो, वेतन तथा भत्ते की राशि के बराबर की कोई राशि, उसी दर पर जिस पर वह सेवा निवृत्ति की तिथि से तुरन्त पूर्व ले रहा था, का दावा करने का हकदार होगा।

(3) यदि उप नियम 2 के अधीन की गई किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति किसी विधि न्यायालय द्वारा अपास्त कर दी जाती है, तो उसके परिणामस्वरूप सभी धन समबन्धी दायित्व अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि से उसके पुन: पद ग्रहण की तिथि तक प्रबन्ध मंडल को न्यायगत होंगे।

(4) कोई कर्मचारी ,प्रबन्ध मंडल को, लिखित रूप में कम से कम तीन मास का नोटिस देने के बाद,उस तिथि को, जिसको वह अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे कर लेता है या आयु के पचास वर्ष प्राप्त कर लेता है या उसके बाद नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी तिथि को सेवा निवृत्त हो सकता है परन्तु निदेशक के विशेष अनुमोदन के सिवाय, निलम्ब.-नाधीन कोई भी कर्मचारी सेवा निवृत्त नहीं होगा।

(5) इन नियमों के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त हो रहे किसी कर्मचारी को आनुपातिक पेंशन प्रदान करते हुए , उसके द्वारा वास्तविक रूप से की गई अर्हक सेवा पर अतिरिक्त रूप में पॉच वर्ष का अधिमान दिया जाएगा।तथापि, पॉच वर्ष तक का अभिमान निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए होगा:-

(क) अधिमान अनुज्ञात करने के बाद कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष की अहर्क सेवा से अधिक नहीं होगी तथा अधिवर्षिता की तिथि से परे नहीं होगी।

(ख) इन नियमों के अधीन बढ़ा दिया गया अधिमान केवल पेंशन तथा उपदान के लिए अर्हक सेवा के अतिरिक्त होगा। यह पेंशन तथा उपदान की सगणना के प्रयोजन के लिए जो कि सेवा निवृत्ति की तिथि के प्रति निर्देश से सगठित वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर होगी, स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी को वेतन के किसी अप्रयोगमूलक नियतन के लिये हकदार नही बनायेगी।

सेवा उपदान।
धारा 4 तथा 16

13. जहाँ अर्हक सेवा दस वर्ष से कम है सेवा उपदान की राशि समुचित राशि होगी जैसा कि अनुबन्ध-1 में अनुबन्धित सारणी में दर्शाया गया है तथा उसे कोई पेंशन नहीं दी जायेगी।

मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान।
धारा 4 तथा 16

14. कोई कर्मचारी जो इन नियमों के अधीन सेवा से अपनी सेवा निवृत्ति पर पेंशन के लिये पात्र हो गया है, को मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान निम्न प्रकार से दिया जायेगा:-

(I) ग्रुप ध कर्मचारी की दशा में, उपलब्धियों के अधिकतम साढे सत्रह गुणा के अधीन रहते हुए, अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह मास की अवधि के लिए उपलब्धियों का 1/4;

(II) ग्रुप घ कर्मचारी की दशा में, उपलब्धियों के अधिकतम साढे सोलह गुणा के अधीन रहते हुए, अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह मास की अवधि के लिए उपलब्धियों का 1/4;

(III) किसी भी दशा मे सेवा निवृत्त उपदान की अधिकतम राशि 3.50 लाख से अधिक नहीं होगी;

(IV) किसी भी कर्मचारी को जिसके विरुद्ध न्यायिक अथवा विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं, कार्यवाहियों के निलम्बन के दौरान उपदान अनुमत नहीं किया जाएगा;

(V) सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, उपदान उसकी मृत्यु के समय पर, कर्मचारी की उपलब्धियों के न्यूनतम बारह गुणा की अधिकतम के अधीन रहते हुए होगा ।

परिवार

मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के प्रयोजन के "परिवार" में कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी शामिल होगे:-

(I) पुरुष कर्मचारियों की दशा में पत्नी/पत्नियां, इसमें न्यायिक रुप से पृथक पत्नी अथवा पत्नियां शामिल हैं ;

(II) महिला कर्मचारी की दशा में पति, इसमें न्यायिक रुप पृथक पति शामिल है;

(III) पुत्र, इसमें सौतेले बालक तथा विधिक रुप दत्तक बालक शामिल है;

(IV) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां;

(V) अठारह वर्ष कह आयु से नीचे के भाई तथा अविवाहित तथा विधवा बहिनें, इसमें सौतले भाई तथा बहिनें शामिल है;

(VI) पिता }इसमें वैयक्तिक दशा में दत्तक
} माता-पिता शामिल है जिनको
(VII)माता} स्वीय विधि दत्तक-ग्रहणी
अनुमति देता है;

(VIII) विवाहित पुत्रियां; तथा

(IX) पूर्वमृत पुत्रों के बालक ।

पारिवारिक पेंशन । धारा 4 तथा 16

15. (I) कर्मचारी से कम एक वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, सम्बध्र महाविद्यालय के मृतक कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन सभी मामलों में न्यूनतम 1275/- रुपयें (केवल हजार दो सौ पच्चतर रुपयें) तथा अन्तिम वेतन के अधिकतम 30 प्रतिशत के अधीन रहतें हुए वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर दी जाएगी ।

(2) सात वर्ष की सेवा से अधिक सेवा वाले कार्यरत अथवा सेवानिवृत्ति के बाद, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पुर्व किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, पारिवारिक पेंशन की राशि सामान्य पारिवारिक पेंशन की राशि के दुगने पर नियत की जाएगी, इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि ऐसी बढ़ाई गई पेंशन मृत्यु के समय पर लिए जा रहे वेतन अथवा सामान्य पेंशन, जैसी भी स्थिति हो, के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह लाभ सात वर्ष की अवधि अथवा जब तक मृतक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता, जो भी पहले हो, के लिये उपलब्ध होगा।

(3) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की दशा में, बढ़ाई गई दरों पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक भुगतान योग्य होगी जिसको मृतक कर्मचारी पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह जीवित रहता, अथवा सात वर्ष की अवधि के लिये ,जो भी अवधि कम हो, लेकिन किसी भी दशा में पारिवारिक पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी।

पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन के लिए परिवार में, कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी शामिल होंगे:-

1.(क) पत्नी;
(ख) पति;
(ग) अवयस्क पुत्र;
(घ) अविवाहित अवयस्क पुत्रियां तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व विधिक रूप से दत्तक बालक;
(ड) मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि, जो भी पहले हो, तक विधवा/विधुर;
(च) पुत्र/अविवाहित पुत्रिया जब तक कि वह 25 वर्ष की आय प्राप्त नहीं कर लेता/

लेती अथवा जीविका उपार्जन शुरू करने तक, जो भी पहले हो;

(छ) न्यायिक रूप से पृथक पत्नी अथवा पति।

2. सेवा निवृत्ति के बाद, विवाह पारिवारिक पेंशन के लिये मान्य नहीं होगा।

टिप्पण: बालक पद में कर्मचारी को मरणोत्तर संतान शामिल है।

अध्याय IV

अंशदायी भविष्य-निधि लेखा का अशंदान तथा रख रखाव। धारा 4 तथा 16

16. (1) कर्मचारी मूल वेतन के 10% की दर पर अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा विहित किसी दर पर अंशदायी भविष्य निधि के हेतु अशंदान करेगा। तथापि कोई कर्मचारी सरकार द्वारा विहित मे उच्चतर दर पर स्वैच्छिक अंशदान कर सकता है। निधि, समय-समय पर निदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण पें विनियमित का जाएगी।

(2) विद्यमान कर्मचारीयों के लिए अंशदायी भविष्य निधि में परिवर्तन करने की तिथि सरकार द्वारा नियत की जाएगी। प्रबन्ध समिति भी अंशदायी भविष्य-निधि लेखा रखेगी तथा इन कर्मचारीयों के सम्बन्ध में मासिक विवरण निदेशक को भेजेगी।

अशंदायी भविष्य निधि के कर्मचारीयों के हिस्से का अन्तरण। धारा 4 तथा 16

17. (1) विद्यमान कर्मचारी अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से प्रबन्ध समिति को लिखित पें आवेदन करेंगे कि वे अंशदायी भविष्य-निधि तथा उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित कर्मचारी के हिस्से को, उस तिथि से जिससे वह अंशदायी भविष्य-निधि में अभिदाय करना शुरू करते है, अंशदायी भविष्य-निधि में स्थानान्तरित कर दें। महाविद्यालय का प्राचार्य तथा प्रबन्ध समिति अपेक्षित राशि को अंशदायी

भविष्य-निधि में अन्तरित करेगी। प्रबन्ध समिति, अंशदायी भविष्य-निधि का भी अभिलेख रखेगी। नियोजक का हिस्सा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित निदेशक को अन्तरित किया जायेगा।

(2) अंशदायी भविष्य-निधि में ब्याज सहित वापिस किए जाने के लिये अपेक्षित या वास्तव में वापस की गई नियोजक के अंशदान की राशि का हिस्सा उचित सत्यापन के अधीन सेवा पंजी में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) कर्मचारी जो इन नियमों के लागू होने पर या उसके बाद सेवा-निवृत्त हो गए है तथा जो अंशदायी भविष्य-निधि में उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित नियोजक का हिस्सा पहले ही ले चुके है तथा वे या ऐसे कर्मचारी, उसके विधिक उत्तराधिकारी की मृत्यु की दशा में,उस राशि को नकद वापिस करने की स्थिति में नहीं है, अनुदान की राशि अथवा पेंशन के बकाये जो उन्हें अनुज्ञेय हो सकते है उसे समायोजित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है । ऐसे मामळों में अंशदायी भविष्य-निधि तथा उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित कर्मचारीयों का हिस्सा वास्तव में ली गई राशि का बारह प्रतिशत ब्याज अथवा समायोजक की तिथि को उपरोक्त उस राशि को लेने की तिथि से गणना की जायेगी तथा यदि कोई देय राशि अभी भी बाकी रहती है तो यह पेंशन का भुगतान किए बिना तब तक समायोजित की जाएगी जब तक कुल राशि की वसूली समायोजित नहीं हो जाती।

(4) निकालने की तिथि तथा नियोजक के हिस्से की राशि उस पर ब्याज सहित वापिस सेवा पंजी में अभिलिखित कर दी जाएगी तथा प्रविष्टि निदेशक द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद अनुप्रमाणित की जाएगी। सम्बद्ध कर्मचारी या उसका विधिक उत्तराधिकारी जैसी भी स्थिति हो उस

आशय का लिखित में वचन देगा कि उसे ऐसी वसूली या समायोजन से कोई आपत्ति नहीं है।

अध्याय V

पेंशन निधि की स्थापना तथा गठन। धारा 4 तथा 16

18. (1) शीष '0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत लाभांश के लिये अंशदान तथा वसूली-01-सिविल-अंशदान तथा अनुदान -101-राज्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन देना (महाविद्यालय) के अधीन पेंशन निधि के नाम से ज्ञात एक निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें नियोजक का हिस्सा जमा किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे

(क) इन नियमों के लागू होने की तिथि तक सहायता अनुदान के रूप में दिए गए सरकार के हिस्से सहित नियोजक के हिस्से की राशि अंशदायी भविष्य-निधि लेखे में है;

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि को या उसके बाद अंशदायी भविष्य-निधि अभिदाय किए गए नियोजक के हिस्से का पाचँ प्रतिशत;

(ग) इन नियमों के लागू होने की तिथि को या उससे पहले सम्बद्ध महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में भुगतान की जा रही अंशदायी भविष्य-निधि में सरकार के हिस्से की पचानवें प्रतिशत राशि;

(घ) उपरोक्त विनिर्दिष्ट राशियों पर प्रोदभूत ब्याज की राशि;

(ड) इन नियमों के लागू होने की तिथि से पहले कर्मचारी का हिस्सा जिसमें प्रोदभूत ब्याज भी शामिल है;

(च) अन्य कोई राशि जो विशेषतया इस निधि में सरकार द्वारा भुगतान की जाए।

(3) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित निधि हरियाणा राज्य की समेकित निधि का भाग नहीं हागी तथापि सरकार निम्न शीर्ष के अन्तर्गत वार्षिक बजट में खर्चे के लिए '2071-पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्त लाभांश-01-सिविल-109-राज्य सहायता प्राप्त शैक्षिणक संस्थाओं (महाविद्यालय)'' शीर्ष के अधीन समुचित उपबन्ध करेगी। प्रत्येक सेवा निवृति लाभ के सम्मुख ये उपशीर्ष अंकित किया जाना है जैसे 101-अधिवार्षिकी तथा सेवा निवृत भते 103-प्रतिपुर्ति भते, 104- सेवा निवृति उपदान तथा 105-पारिवारिक पेंशन इत्यादि।

(4) निधि में जमा निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:-

प्रबंध मंडल द्वारा भुगतान योग्य अंशदायी भविष्य-निधि में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत के हिस्से का पाँच प्रतिशत, इसी प्रकार निधि में जमा करने के लिए गैर सरकारी सम्बद्ध महाविद्यालयों को स्वीकृत सहायता अनुदान से भी कटौती की जाएगी ताकि प्रबन्ध मण्डल से वसूली के लिए कोई राशि बकाया न रहे; और

(5) उप नियम (4) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में इन नियमों के अधीन सेवा निवृत्ति लाभांशो के रूप में प्रबन्ध मंडल का

अंशदायी भविष्य-निधि में हिस्सा, सहायता अनुदान में से काट लिया जाएगा।

(6) प्रबन्ध मंडल प्रत्येक मास निदेशक को मांग ड्राफ्ट पेश करते हुए आवश्यक विशिष्टियां अर्थात कर्मचारी का नाम, पदनाम, प्रत्येक कर्मचारी के सम्बंध में अंशदान की राशि के तथा कुल जोड़ के ब्यौरे दर्शाते हुए (तीन प्रतियां) संलग्न करेगा।

व्यतिक्रम के मामलों में कार्रवाई करने वाला प्राधिकारी। धारा 4 तथा 16

(19) प्रबन्ध मंडल द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों में चूक या कार्यान्वयन न करने की दशा में, निदेशक को प्रबन्ध मंडल को देय सहायता अनुदान की राशि में से प्रबन्ध मंडल को देय पाई गई ऐसी किसी राशि की कटौती का अधिकार होगा जो प्रबन्धक को सम्बद्ध महाविद्यालय के सहायता अनुदान को निलम्बित कर सकता है और सरकार के पूर्व अनुमोदन से सहायता अनुदान सूची में से ऐसे महाविद्यालय का नाम भी हटा सकता है।

कार्यान्वयन के लिए कक्ष की स्थापना। धारा 4 तथा 16

20. (1) निदेशक के कार्यालय में एक पृथक पूर्ण कक्ष की स्थापना की जाएगी, जो इन नियमों तथा उपरोक्त निधियों में से संग्रहण तथा वितरण की राशि का भी महाविद्यालयवार पूर्ण लेखा रखेगा तथा प्रत्येक वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त में निधियों में बकाया अतिशेष का समाधान करेगा। यह कर्मचारीयों, अभिदान की वसूली, खाता लेखा, बड़ा चिटठा, कर्मचारीयों के लिए लेखा संख्या का आबंटन तथा लाभानुयोगियों की भविष्य-निधि तथा भुगतान अभिलेख इत्यादि का रजिस्टर रखेगा।

(2) महालेखाकार, हरियाणायाणा के कार्यालय में निधियों में जमा तथा विकलन का मासिक मिलान किया जाएगा ताकि इस निधि के लेखों में कोई विसंगतियां न रहें।

पेंशन निधियों में धन का जमा करना । धारा 4 तथा 16

21. (1) अभिदायी भविष्य-निधि की राशि, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से प्रबन्ध समिति की ओर देय हो जाती है, तुरन्त निधि में जमा करा दी जाएगी जिसमें असफल होने पर, प्रबन्ध समिति, अंशदायी भविष्य-निधि के लागू ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगी।

(2) निधि तथा अंशदायी भविष्य-निधि अतिशेष राशि पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा इस निधि के अधीन वार्षिक बजट में समुचित उपबन्ध करने के लिए सरकार को सूचित किया जाएगा।

पेंशन के भुगतान का ढ़ग। धारा 4 तथा 16

22. निदेशक की मंजूरी के बाद इन नियमों के अधीन निधि में से भुगतान पेंशन भुगतान आदेश तथा निदेशक द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र के आधार पर सम्बद्ध कोषाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

सेवा निवृत्ति व्यक्ति को भुगतान का ढ़ग। धारा 4 तथा 16

23. सेवा निवृत्ति व्यक्ति को पेंशन का भुगतान, पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अन्य सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान सेवा निवृत व्यक्ति को, निदेशक द्वारा सेवा निवृत्ति लाभ मंजूर करने के बाद सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाएगा तथा इस प्रकार स्वीकृत प्रति तदानुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रत्येक सम्बद्ध कोषाधिकारी को प्रति सहित महालेखाकार हरियाणा (ए और इ) तथा सेवा निवृत्ति को तथा महाविद्यालय के प्राधानाचार्य को भेजी जाएगी।

24. इन नियमों के अधीन सभी भुगतान '2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभांश-01-सिविल-109- राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाए (महाविद्यालय)'' प्रत्येक सेवा निवृति लाभ के सम्मुख अलग उप शीर्ष अकिंत किया जाये के शीर्ष के अधीन किये जाएगें तथा सम्बन्धित कोषाधिकारी, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा को भुगतानों का आवश्यक मासिक खाता प्रस्तुत करेगा तथा खजाना अनुसूची की एक प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे सहित महाविद्यालय के प्राचार्य को सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा आगामी मास के 10वें दिन तक भेजी जाएगी।	खर्च लेखा का शीर्ष धारा 4 तथा 16
25. '2071-पेंशन तथा अन्य लाभांश-01-सिविल-109- राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाए (महाविद्यालय)'' प्रत्येक सेवा निवृति लाभ के सम्मुख अलग उप शीर्ष अकिंत किया जाये शीर्ष के अधीन भुगतान की गई राशि महालेखाकार (लेखा परीक्षा तथा हकदारी) के कार्यालय में वास्तविक रूप में विकलित की जायेगी।	विकलन व्यय के लेखे का शीर्ष। धारा 4 तथा 16
26. निदेशक के कार्यालय सहायता प्राप्त महाविद्यालय की पेंशन बाँच ऐसे कर्मचारीयों, जिनके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए है , के पूरे ब्योरे दर्शाते हुए पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर महाविद्यालयवार रखेगी।	खाते का रख - रखाव। धारा 4 तथा 16
27. इन नियमों के नियम 15 के अधीन कर्मचारीयों के परिवार को अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन, पेंशन भुगतान आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा विहित प्ररूप में आवेदन पत्र के साथ मृत कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा। सम्बद्ध कोषाधिकारी पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए इन नियमों में दी गई प्रकिया का पालन करेगा।	पारिवारिक पेंशन का भुगतान । धारा 4 तथा 16

अंशदायी भविष्य-निधि की स्थापना तथा गठन।
धारा 4 तथा 16

28. सम्बद्ध महाविद्यालय के कर्मचारीयों के सम्बन्ध मे 8005-राज्य भविष्य-निधियां-01- सिविल-102-अंशदायी भविष्य-निधि-01- राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाए (महाविद्यालय)'' अंशदायी भविष्य निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जाएगी:

इस निधि में निम्नलिखित राशियाँ जमा कराई जाएगी:-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व कर्मचारी के अंशदायी भविष्य-निधि के हिस्से जिसमें उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित शामिल है, की राशि।

(ख) समय-समय पर जारी किए गए सरकारी अनुदेशों के अनुसार अंशदायी भविष्य-निधि की कर्मचारी मासिक अभिदाय।

(ग) यद्यपि, इस नियम के अधीन स्थापित निधि हरियाणा राज्य की समेकित निधि का भाग नहीं होगी, तथापि सरकार इसके भूगतान तथा प्रोदभूत वार्षिक ब्याज के लिए वार्षिक बजट में समुचित उपबन्ध करेगी।

(घ) निदेशक अंशदायी भविष्य-निधि में से अभिदाता/आवेदक को वापस किया जाने वाला तथा वापस न किया जाने वाला ऋण/पेशगियों की मंजूरी करने में सक्षम होगा।

कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए विंग की स्थापना।
धारा 4 तथा 16

29. (1) निदेशक के कार्यालय में इन नियमों की कार्यान्वित करने के लिए विभाग में एक पृथक विंग स्थापित किया जाएगा।

(2) अंशदायी भविष्य-निधि संचयन से सम्बन्धित लेखों का रखरखाव विभागीय स्तर पर भी रखा जाएगा।

30. एक समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग (11) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग (111) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, तथा (1V) निदेशक। निधि की स्थिति इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति की बैठक वर्ष में कर्मचारी से कम एक बार होगी और इन नियमोंके अधीन यथा अपेक्षित बजट उपबन्ध के लिए सरकार को सिफारिश भी करेगी। शिक्षा सचिव समिति का अध्यक्ष होगा तथा निदेशक इसका पदेन सचिव होगा।	निधि की स्थिति की समीक्षा के लिए समिति की स्थापना। धारा 4 तथा 16
31 निदेशक, निधि का नियन्त्रण तथा सचालन प्रशासित करेगा।	प्राधिकरण जिसका सम्पूर्ण नियन्त्रण होगा। धारा 4 तथा 16
32. महालेखाकार (संपरीक्षा) हरियाणा निधि के व्यक्तिगत लेखा संपरीक्षा करेगा।	लेखा-संपरीक्षा। धारा 4 तथा 16

अध्याय vi

33. (1) महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति या प्राचार्य, ऐसी तिथि से एक वर्ष पूर्व जिसको वह अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होता है, कर्मचारी के नाम बकाया देय राशियों का निर्धारण करने के लिए कदम उठाएगी। (2) यथा निर्धारित देय राशियां जिनमें वे देय राशियां शामिल है जो उसके बाद ध्यान में आती है	देय राशियों का समायोजन तथा वसूली। धारा 4 तथा 16

तथा कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तिथि तक बकाया रहती है, कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पर भुगतान योग्य मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति की राशि से समायोजित कर दी जायेगी।

(3)जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है, तो प्रबन्धन समिति द्वारा इस आशय का एक कार्यालय आदेश जारी किया जायेगा तथा उसकी प्रतियां निदेशक को पृष्ठांकित की जायेंगी।

(4)कर्मचारी इन नियमों के अधीन उपलब्ध लाभों के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक नियोजक तथा कर्मचारी दोनो का अंशदायी भविष्य-निधि का हिस्सा निधि में अन्तरित नहीं कर दिया जाए।

पेंशन को रोकने की शक्ति। धारा 4 तथा 16

34. सेवा निवृत्ति पर या उसके बाद यदि पेंशन भोगी को किसी गम्भीर अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता अथवा वह सरकार द्वारा दी गई किसी जाँच में घोर कदाचार का दोषी है या सिद्ध हो जाता है, तो निदेशक को पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोकने अथवा वापस लेने का अधिकार होगा।

मध्यस्थता। धारा 4 तथा 16

35. यदि कर्मचारी का पेंशन दस्तावेज अग्रेषित करने में देरी के बारें में कर्मचारी तथा प्रबन्धन-समिति के बीच कोई विवाद उत्पन्नहोता है तो मामला निर्णय

के लिए निदेशक को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा पक्षकारों पर बाध्य होगा।

नियमों का निर्वाचन। धारा 4 तथा 16

36.यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न अथवा संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका निर्णय सरकार करेगी।

अनुबन्ध–1

(देखिए बियम 13)

	अर्हक सेवा की पूर्ण छमाही अवधियां	सेवा उपादान का पैमाना
1.	1/2	मास की उपलब्धियां
2.	1	मास की उपलब्धियां
3.	1–1/2	मास की उपलब्धियां
4.	2	मास की उपलब्धियां
5.	2–1/2	मास की उपलब्धियां
6.	3	मास की उपलब्धियां
7.	3–1/2	मास की उपलब्धियां
8.	4	मास की उपलब्धियां
9.	4–1/2	मास की उपलब्धियां
10.	4–3/8	मास की उपलब्धियां
11.	5–1/8	मास की उपलब्धियां
12.	5–1/2	मास की उपलब्धियां
13.	5–7/8	मास की उपलब्धियां
14.	6–1/4	मास की उपलब्धियां
15.	6–5/8	मास की उपलब्धियां
16.	7	मास की उपलब्धियां
17.	7–3/8	मास की उपलब्धियां
18.	7–3/4	मास की उपलब्धियां
19.	8–1/9	मास की उपलब्धियां

प्रारूप—1

देखिए नियम 3(1)

(कर्मचारियों के सेवा—निवृत्ति लाभों के कार्यान्वयन के लिए प्रवन्ध समिति द्वारा निष्पादित किए जाने वाला करार)

यह करार ------------------------------ के ----------दिन को. एक पक्ष की प्रवन्ध समिति(जिसे, इसमें. इसके वाद'प्रवन्ध समिति कहा गया है. जिस अभिव्यक्ति में इसका उत्तराधिकारी शामिल होगा). तथा दूसरे पक्ष को --------------- के माध्यम से कार्यरत हरियाणा के राज्यपाल(जिन्हें इसमें. इसके वाद'सरकार' निर्दिष्ट किया गया है). के वीच किया गया ।

चूंकि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सम्बद्ध सहायता—प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य—निधि के वदले में सेवा—निवृत्ति लाभांश देने का निर्णय सरकार ने इस शर्त के अधीन रहते हुए लिया है कि सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का प्रवन्ध समिति हरियाणा सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालय(पेंशन तथा अंशदायी भविष्य—निधि) नियम. 1999. के उपबन्धों तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए एक करार निष्पादित करेगी;

और.चूंकि प्रवन्धसमिति ---------------------------------ने प्रस्तावसख्या--------------------दिनांक -------------द्वारा अंशदायी निधि के बदले में सेवा-निवृत्ति लाभांशों को देने के लिए शर्तों को पूरा करने में. हरियाणा सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालय(पेंशन तथा अंशदायी भविष्य-निधि) नियम, 1999, के उपबन्धों तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए सहमत हो गई है;

और. चूंकि. अंशदायी भविष्य-निधि द्वारा शासित विद्यमान कर्मचारी. अब. हरियाणा सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालय(पेंशन तथा अंशदायी भविष्य-निधि) नियम. 1999. द्वारा शासित किए जाने हैं. अंशदायी भविष्य-निधि का प्रवन्ध समिति का हिस्सा तथा सरकार का हिस्सा अंशदायी भविष्य-निधि को उनको स्वीकार करने की तिथि से उक्त नियमों के लागू होने की तिथि तक उस पर प्रोदभूत लाभ सहित निदेशक को अन्तरित किया जाना है;

और चूंकि प्रवन्ध समिति , हरियाणा सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालय(पेंशन तथा अंशदायी भविष्य-निधि) नियम, 1999, के अधीन निधि में कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य -निधि के रूप

में वेतन का इस रूप में अपना हिस्सा जो निदेशक द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, अंशदान करते रहने के लिए सहमत हो गई है तथा यह अंशदाब निदेशक को अन्तरित किया जाएगा;

इसलिए अब, उक्त करार के अनुसरण में, प्रबन्ध समिति , इसके द्वारा, सहमत हो गई है कि वह करार में लगाई गई सभी शर्तों का सम्यक् रूप से, ईमानदारी से तथा समय निष्ठा से अनुपालन करेगी । उक्त शर्तों पर, कार्य करने में प्रबन्ध समिति के असफल रहने की दशा में, प्रबन्ध समिति को जारी की जा रही प्रबन्ध समिति को देय सहायता-अनुदान की राशि में से किसी राशि की कटौती करने का निदेशक हकदार होगा तथा प्रबन्ध समिति हो, के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेगा, जो हरियाणा सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालय(पेंशन तथा अंशदायी भविष्य-निधि) नियम, 1999, के ढांचे में उचित प्रतीत हो;

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस विलेख पर क्रमशः उनके हस्ताक्षरों के सामने वर्णित तिथि को, हस्ताक्षर किए हैं:-

राज्यपाल हरियाणा के लिए तथा

उसकी ओर से

1. हस्ताक्षर----------
2. नाम----------
3. दिनांक--------

साक्षी-1

हस्ताक्षर----------

नाम----------

दिनांक--------

पदनाम----------

पता----------

साक्षी-2

हस्ताक्षर----------

नाम----------

दिनांक--------

पदनाम----------

पता----------

प्रबन्धक के लिए तथा

उसकी ओर से

1. हस्ताक्षर----------
2. नाम----------
3. दिनांक--------

साक्षी-1

हस्ताक्षर----------

नाम----------

दिनांक--------

पदनाम----------

पता----------

साक्षी-2

हस्ताक्षर----------

नाम----------

दिनांक--------

पदनाम----------

पता----------

.....

श्री/श्रीमती----------पदनाम----------पावती

कार्यालय----------के विकल्प तथा वचनबद्धता

दिनांक----------प्राप्त किए।

दिनांक--------

(मोहर तथा बड़े अक्षरों में पूरे नाम सहित)

प्रारूप–2

(देखिए नियम 3(1))

वचनबद्धता

(तीन प्रतियों में)

हरियाणा सरकार यादी क्रमांक————————————दिनांक ————

द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को पढकर तथा मेरे मामले में यथा लागू इन नियमों को पूर्ण रूप से समझकर:–

(1) (क) मैं, ऊपर विर्दिष्ट तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित तथा जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करने का वचन देता हूं ।

(ख) मैं, मेरे तथा नियोजक के हिस्से के मद्दे निदेशक द्वारा निकाली गई राशि को वापस करने का वचन देता हूं ।

साक्षी

1. हस्ताक्षर————————

दिनांक————————

पूरा नाम————————

(बडे अक्षरों में)

पदनाम

2. हस्ताक्षर————————

दिनांक————————

पदनाम————————

(प्राचार्य)ब

कार्यालय————————

कर्मचारी के हस्ताक्षर————————

दिनांक————————

पूरा नाम————————

(बडे अक्षरों में)

विष्णु भगवान,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग, चण्डीगढ

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 31st May,1999

No. G.S.R.53/H.A.15/1979/S.4,5 and 16/99.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 16 and sections 4 and 5 of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act,1979 (Act 15 of 1979), the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the pension and Contributory provident fund of the employees appointed to the affiliated aided colleges ,namely:-

CHAPTER-I

1. (1) These rules may be called the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules,1999. — Short title and commencement

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 11th day of May, 1998.

2. In these rules, unless the context otherwise requires;- — Definitions

(a) "aided sanctioned post" means the post for which grant-in-aid is allowed by Higher Education Directorate, Haryana;

(b) 'Act' means the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act 1979(Act 15 of 1979);

(c) "Department" means Higher Education Department, Haryana;

(d) "Director" means the Director of Higher Education;

(e) "Emoluments" for the purpose of pension mean basic pay plus special pay personally, if any;

(f) "Fund" means Pension fund;

(g) "Form" means form appended to these rules;

(h) "pay" means the amount drawn monthly by an employee as-

(i) pay other than special pay or pay granted in lieu of his personal qualifications, which has been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity or to which he is entitled;

(ii)special pay and personal pay, if any;

(iii)any other emoluments which may specifically be classified as pay by the Government in the case of Government Employee; and

(i) "pension" means an amount which an employee shall get as pension including gratuity on attaining the age of superannuation;

(j) "qualifying service" means the service that qualifies for pension under these rules. It shall be reckoned in terms of completed half years, provided that the fraction equal to three months and above shall be treated as completed half year. However, the qualifying service will be taken into account with effect from the date an employee starts contribution towards Contributory Provident Fund;

(k) "Service" means the service rendered under the provisions of the Haryana Affiliated Colleges(Security of Service) Act, 1979 (Act 15 of 1979) and rules made thereunder;

(l) The words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Haryana Affiliated Colleges(Security of Service) Act, 1979 (Act 15 of 1979) .

CHAPTER - II

3. (1) Except as otherwise provided in any rule, and Subject to the condition that the Managing Committee of Aided College, executes an agreement

Application section 4 &16

in Form-I, duly supported by a resolution of the Managing Committee to abide by the provisions of these rules and the undertaking of the employee in Form-II and instructions, issued by the Department from time to time, these rules shall apply to all the employees, who,-

(a) are appointed to the aided sanctioned posts on or after the 11th day of May,1998; and

(b) were working on aided sanctioned posts immediately before the 11th day of May, 1998 and continue to work as such thereafter:
Provided that the employees appointed to the aided sanctioned posts-

(i) before the 11th day of May,1998 who have attained or will attain the age of superannuation on or after that date (hereinafter referred to as " existing employees"); and

(ii) on or after the 11th May,1998 and before the publication of these rules shall have the right to exercise option as to whether to be governed by these rules or not

within a period of three months from the date of publication of these rules in the official Gazette.

(2) These rules shall not apply to,-

(i) the employees appointed on part-time basis against aided sanctioned posts;

(ii) the employees appointed against the posts not sanctioned by the Government;

(iii) the employees who retired from the sanctioned posts before the 11th day of May,1998 and the employees who attained the age of superannuation before the said date except those who have been given extension by the Department after the age of superannuation on sanctioned posts; and

(iv) the employees employed on a leave-gap arrangement, or on adhoc basis, or on contractual basis.

Liability to refund amount of employees share section 4 and 16

4. Such of those employees retiring from the 11th day of May, 1998 to the date of publication of these rules in the official Gazette , who exercise option to be governed by these rules , will be required to deposit full amount of employer share alongwith interest at the rate of 12% per annum, with the Government.

Retirement benefit section 4 and 16

5. The following retirement benefits shall be admissible under these rules, namely:-

(1). Pension-

(a) Superannuation Pension;

(b) Invalid pension;

(c) Compensatron pension;and

(d) Voluntary Retirement pension/compulsory retirement pension.

(2). Death- cum- retirement gratuity.

(3). Service gratuity.

(4). Family pension.

CHAPTER - III

Qualifying Service section 4 and 16

6. The Service of an employee shall qualify for retirement benefits under these rules as under:-

(i) The service rendered on attaining the age of 18 years on approved post admitted for grant-in-aid .

(ii) In the case of Group D employees;the service rendered uptill the attainment of the age of sixty years and in case of others the service renered uptil the attainment of the age of fifty eight years.

(iii) the leave admissible under the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 1979 and under instructions issued by the Government from time to time, excluding the leave without pay and period of suspension,over-stayal of leave not subsequently regularised and period of break in service.

(iv) service rendered in one or more private affiliated colleges, receiving grant-in-aid under the same management. However, service rendered in other colleges will not count for pension.

7. In the absence of specific indication to the contrary in the service record of the employee, an interruption between spells of services rendered by an employee under the same management may be condoned with the approval of Director; and be treated as qualifying service for retirement benefits:

Condonation of interr-uptions section 4 and 16

Provided that the interruption caused by the resignation, dismissal, removal from service or due to

participation in strike , shall not be condoned.

PENSION

Entitlement for pension section 4 and 16

8. An employee shall be entitled for Pension under these rules only after he completes ten years qualifying service.

Superannuation pension section 4 and 16

9. (1) An employee other than Group D employee under these rules, will be entitled to the superannuation pension from the date he attains the age of fifty eight years.

(2) A Group D employee shall be entitled to the superannuation pension from the date he attains the age of sixty years.

(3) Pension shall be calculated at the rate of fifty percent of the average pay of the last ten months. The admissiblity of full pension shall be on completion of thirty three years qualifying service. The amount of pension is to be determined by length of service. The length of qualifying service for this purpose shall be calculated in terms of completed six monthly period and fraction of a year equal to three months or more shall be treated as a completed six monthly period. The formula will be as under:

$$\text{Pension} = 10 \text{ Months Average emoluments} \times \frac{\text{Qualifying service in (counted in terms of comp-leted half yearly period}}{66}$$

If the pension so calculated for the qualifying service of thirty three years falls short of Rupees 1275/- (One thousand two hundred seventy five rupees only) the same shall be raised to Rs.1275/- (One thousand two hundred seventy five rupees only) in all cases.

10. (1) The employees who are declared physically invalid for service because of bodily or mental infirmity shall be granted invalid pension. **Invalid pension section 4 and 16**

(2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from a Medical Board in which a lady doctor shall also be included as a member thereof whenever any woman employee is to be examined.

(3)No medical certificate of incapacity for Service, shall be granted unless the applicant produces a letter from Director directing him to appear before the Medical Board. The Medical Board shall also be supplied a statement by the Director regarding the age of the applicant as recorded in his service book.

(4)A brief statement of the medical case and that of the treatment undergone shall be appended to the application.

(5)A simple certificate that inefficiency is due to old age

or natural decay from advancing age, shall not be sufficient in the case of an employee whose recorded age is less than fifty five years.

(6)The employee who has been declared invalid shall be relived from duty from the date of such declaration by the Medical Board.

Compensation pension section 4 and 16

11. If an employee is discharged by the Managing Committee owing to the abolition of a whole time sanctioned post, he will, unless he is appointed to another post, the condition of which are deemed to be at least equal to those of his own, have the option :-

(a) of taking compensation pension or gratuity to which he may be entitled for the service he has already rendered; or

(b) of accepting another post under the same Managing Committee for which he fulfils the prescribed qualifications if offered and to continue to count his previous service for pension.

Voluntary/ Compulsory Retirement section 4 and 16

12. (1) A retiring pension and retirement gratuity shall be granted to an employee , who retires voluntarily or is retired compulsorily according to the length of qualifying service as provided in the succeeding sub-rule.

(2) If the management is of the opinion that it is in public interest to retire an employee for reasons to be recorded in writing, it shall have the right by giving the employee concerned, a prior notice, in writing of not less than three months, to retire, him on the date on which he completes twenty years of qualifying service or on any other date thereafter, to be specified in the notice:

Provided that where three months notice is not given or notice for a period less than three months is given, the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of pay and allowances at the same rate at which he was drawing immediately before the date of retirment, for a period of three months or for the period by which such notice falls short of three months, as the case may be.

(3) If the retirment of the employee may under sub rule(2) is set aside by a Court of law, all pecuniary liabilities consequent thereto from the date of compulsory retirment upto the date of his rejoining the post, shall devolve on the Management.

(4) An employee may, after giving at least three months notice in writing to the Management, retire from service on the date on which he

completes twenty years of qualifying service or attains fifty years of age or on any date thereafter to be specified in the notice, provided that no employee under suspension shall retire from service except with the specific approval of the Director.

(5) While granting proportionate pension to an employee retiring voluntarily under these rules weightage upto five years would be given as an addition to the qualifying service actually rendered by him. The grant of weightage of upto five years will, however, be subject to the following conditions:-

(a) The total qualifying service after allowing the weightage shall not in any event exceed thirty three years qualifying service and does not go beyond the date of superannuation.

(b) The weightage given under these rules will only be in addition to the qualifying service for pension and gratuity. It will not entitle the employee retiring voluntarily to any notional fixation of pay for the purpose of calculating the pension and gratuity which will be based on the actual emoluments calculated with reference to the date of retirement.

13. Where the qualifying service is less than ten years the amount of service gratuity shall be the appropriate amount as set out in the table annexed at Annexure I and no pension shall be granted to him. — **Service gratuity** section 4 and 16

14. An employee who has become eligible for pension under these rules on his retirement from service shall be granted death-cum-retirement gratuity as below:- — **Death-cum-retirement gratuity** section 4 and 16

(i) In case of Group D employee, 1/4 th of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of seventeen and half times of emoluments;

(ii) in the case of employees other than Group D employees 1/4 th of the emoluments of an employee for each completed six monthly period of the qualifying service, subject to a maximum of sixteen and half times of the emoluments;

(iii) The maximum amount of retirement gratuity shall not exceed Rs. 3.50 Lakh in any case.

(iv) An employee against whom judicial or departmental proceedings have been instituted shall not be permitted gratuity during the pendency of proceedings.

(v) In the event of death of an employee while in service, the gratuity shall be subject to a minimum of twelve times of the emoluments of the employeee at the time of his/her death.

For the purpose of death cum retirement gratuity " family" shall include the following relatives of the employee:-

(i) wife or wives including judicially separated wife/ wives in the case of male employees;

(ii) husband including judicially separated husband in the case of female employee;

(iii) Sons including step children and legaly adopted children;

(iv) unmarried and widowed daughters;

(v) brothers below the age of eighteen years and unmarried and widowed sisters including step brothers and sisters;

(vi) father } Including adopted
} parents in case
(vii) mother } of individual whose personal law permits adoption;
(viii) married daughters; and

(ix) children of predeceased sons.

15. (1) In case of death of the employee or pensioner with at least one year service, the family pension shall be granted to the family of the deceased employee of the Aided affiliated college at the rate of 30% of pay in all cases subject to minimum of Rs. 1275/- (One thousand two hundred seventy five rupees) and maximum of 30% of last pay.

Family pension section 4 and 16

(2) In case of death of an employee while in service having more than seven years service or after retirement before attaining the age of 65 years, the amount of family pension would be fixed at double the amount of normal family pension subject to the conditions that such enhanced family pension does not exceed 50% of pay drawn at the time of death or normal pension as the case may be. This benefit will be available for a period of seven years or till the deceased would

have attained the age of 65 years,whichever is earlier.

(3) In the event of death after retirement , the family pension at the enhanced rates shall be payable upto the date on which the deceased employees would have attained the age of sixty five years, had he survived, or for a period of seven years whichever period is less, but in no case the amount of family pension shall exceed the pension sanctioned to the employee at the time to retirment.

For the purpose of "family"pension "family" shall include the following relatives of the employee:-

1. (a) wife;

(b) husband;

(c) minor sons;

(d) unmarried minor daughters and legally adopted child before the date of retirement;

(e) widow/widower upto the date of death or re-marriage, whichever is earlier;

(f) sons/unmarried daughters until he/she attains the age of 25 years or starts earning livlihood whichever is earlier;

(g) a judicially separated wife or husband;

(2) Marriage after retirement is not recognised for family pension.

Note: The term "child" includes posthumous child of the employee.

CHAPTER IV

Subscription and maintenance of contributory provident fund account section 4 and 16

16. (1) The employees shall contribute towards the Contributory Provident Fund at the rate of 10% of the basic pay or any rate prescribed by the Government from time to time. An employee, may however, subscribe voluntarily at higher rate than that prescribed by the Government. The fund shall be regulated in accordance with the procedure as may be specified by the Director from time to time.

(2) The date of switching over for the existing employees to Contributory Provident Fund shall be fixed by the Government. The Managing Committee shall also maintain the Contributory Provident Fund

Account and send monthly financial statement in respect of these employees to the Director.

Transfer of employee's of contributory provident fund section 4 and 16

17. (1) The existing employees shall apply, in writing to the Managing Committee through the Principal of their college stating that the employee's share of contribution to Contributory Provident Fund together with interest accrued thereon be transferred to the Contributory Provident Fund with effect from the date they started subscribing to the Contributory Provident Fund. The Principal of the College and the Managing Committee shall transfer the requisite amount to the Contributory Provident Fund. The Managing Committee shall also keep the record of Contributory Provident Fund. The employer's share alongwith 12% interest would be transferred to the Director.

(2) The amount of employer's share of contribution to the Contributory Provident Fund together with interest required to be refunded or actually refunded shall be recorded in the Service Book under proper attestation.

(3) The employees who have retired on or after coming into force of these rules and have already drawn the employer's share of Contributory Provident Fund together with interest

accrued thereon and they (or in case of death of such an employee, his legal heirs) are not in a position to refund the same in cash, may be allowed to adjust the same against the amount of gratuity or arrears of pension that may be admissible to them. In such cases the employer's share of Contributory Provident Fund together with interst accrued thereon shall be refunded with twelve percent interest on the amount actually drawn,calculated from the date of drawal of the said amount to the date of refund or adjustment and if there still remains any due amount it will be adjusted by non-payment of pension till recovery of the total amount is adjusted.

(4) the date of drawal and refund of the amount of employer's share together with interest thereon shall be recorded in the service book and the entry shall be attested after verification by the Director The concerned employee or their legal heirs, as the case may be, shall give an undertaking in writing to the effect that he has no objection to such recovery or adjustment.

CHAPTER V

Establishment and constitution of pension fund section 4 and 16

18. (1) There shall be established a fund to be known as Pension fund under the Head " 0071-Contribution and recoveries towards pension and other retirement benefits -Civil-01-subscription and contributions" to which the employer's share shall be credited.

2. The fund as specified in sub-rule (1) shall comprise :

(a) the amount of employers share including that of Government share given in the shape of grant in aid upto the date of enforcement of these rules lying in the contributory Provident Fund Account;

(b) five percent of the employer's share towards Contributrory Provident Fund contributed on or after the date of enforcement of these rules;

(c) ninety five percent amount of the Government share towards the Contributory Provident Fund being paid as grant-in-aid to the affiliated aided colleges on or before the date of enforcement of these rules;

(d) the amount of interest accrued on the amounts specified above;

(e) any other amount as may be specifically paid by the Government towards this fund;

3. The fund established under these rules that shall not form part of the Consolidated Fund of the State of Haryana yet the Government shall make suitable provision in the annual budget under the Head "2071-Pension and other Retirement Benefits Fund-01-civil-109-Pension to Employees of State Aided Educational Institutions(Colleges)".The Sub-Head be mentioned against each retirement benefits i.e. 101-Superannuation and Retirement Allowances, 103-Compassionate Allowance, 104-Gratuites and 105 Family Pensions etc.

4. The credit to the fund shall be made as under:-
five percent of the ten percent of the pay of the employee share towards the Contributory provident fund payable by the management shall also be deducted from the grant in aid sanctioned to the private affiliated colleges for crediting the same to the fund so that no amount remains pending for recovery from the management.

5.or the purpose of sub-rule(5) the share of contributory provident fund of the management towards the retirement benefits

under these rules in respect of each employee shall be deducted from the grant-in-aid.

6. The management shall attach a detail (in triplicate) showing the necessary particulars i.e. name, designation, amount of the contribution in respect of each employee and the grand total while presenting the demand draft to the Director every month.

Authority to take action in case of default section 4 and 16

19. In case of default or non implementation by the management of any provision of these rules, the Director shall have the right to deduct any amount that may be found due to the management out of the amount of grant-in-aid and may suspend the grant-in-aid to the concerned affiliated college and may also remove the name of such college from the grant-in-aid list with the prior approval of the Government

Setting up of a cell for implementation section 4 and 16

20. (1) A fulfledged separate cell shall be established in the office of the Director which shall maintain the complete accounts pertaining to these rules and also college-wise amount of collection and disbursment out of the above funds and balances outstanding in the funds at the end of each quarter of every financial year shall be reconciled. It shall maintain the register of employees, recovery of subscription, Ledger Accounts, Broad Sheet, Allocation of

Account Number for employees, Contributory Provident Fund and record of payment to beneficiaries etc.

(2) The credit and debit tc the fund shall be reconciled in the office of Accountant General, Haryana monthly so that no discrepancies arise in the accounts of this fund.

21. (1) The amount of the Contributory Provident Fund which becomes due from the Managing Committee on the date of commencement of these rules shall deposited in the Fund immediately, failing which the Managing Committee shall be liable for payment of interest appliable to the Contributory Provident Fund. — Depositing of money in pension section 4 and 16

(2) The amount of interest accrued on the balance amount of the Fund and Contributory Privident Fund shall be worked out on yearly basis and shall be communicated to Government for making a suitable provision in the annual budget under this fund.

22. The payment out of Fund under these rules after sanction by the Director shall be made by the concerned Treasury Officer on the basis of Pension Payment Order and the authority letter issued by the Director. — Mode of payment of pension section 4 and 16

Mode of payment to retire section 4 and 16

23. The payment of pension to the retiree shall be through the concerned Treasury Officer on the basis of Pension payment order and other retirement benefits admissible under these rules shall be paid by the Principal of the College concerned to the retiree after the same is sanctioned by the Director and a copy of the sanction so made shall be conveyed to the Accountant General, Haryana (Accounts & Entitlement) and the concerned retiree with a copy each to the concerned Treasury Officer and the Principal of the college for making payment through Bank Draft accordingly.

Head of account of experience section 4

24. All payments out of the fund under rules shall be made under the expenditure Head "2071-Pension and other retirement benefits - 01 - Civil - 109 - State Aided Educational Institutions (Colleges) under seperate sub-head against each retirement benefit" and the concerned Treasury Officer shall submit necessary monthly account of payments to the Accountant General, (Accounts and Entitlement), Haryana and a copy of the Treasury Schedule with details of payment made shall be sent by the 10th of the following month by the concerned Treasury Officer to the Principal of the college.

25. The amount of payment made under Head "2071-Pension and other retirement benefits-01-Civil-109-Pension to the Employees of State Aided Educational Institutions(Colleges) " under seperate sub-head against each retirement benefit actually debited and reconciled in the office of the Accountant General (Accounts & Entitlement)	Head of account of debit expenditure section 4 and 16
26. The pension Branch(Aided College) of the office of the Director shall maintain college wise pension payment orders register showing therein complete particulars of the employees in whose favour pension payment orders are issued.	Maintenance of account section 4 and 16
27. The family pension admissible under Rule 15 of these rule to the family of the employees shall be specified in the pension payment order and the family pension shall be paid by the concerned Treasury Officer on receipt of death certificate of the deceased employee alongwith an application to be submitted in the prescribed proforma. The concerned Treasury Officer shall comply with the procedure in making payment of family pension and other retirement benefits as envisaged in these rules.	Payment of family pension section 4 and 16

Establishment and contribution of contributory provident fund section 4 and 16

28. A fund known as Contributory Provident and under the Head "8005-State Provident Fund-01-Civil- 102-Contributory Provident Fund of State Educational Institutions (Colleges)"in respect of the employees of affiliated aided colleges shall be established: The following amounts shall be credited to this fund;

(a) The amount of employee's share of Contributory Provident Fund including interest accrued thereon prior to the date of commencement of these rules.

(b) Employees monthly contribution to Contributory Provident Fund as per instructions of the Government issued from time to time.

(c) Though the fund established under these rule shall not form part of Consolidated Fund of State of Haryana yet the Government shall make suitable provision in annual budget too payment whichever accrued annually.

(d) The Director will be competent to sanction refundable and non-refundable loans/advances out of Contributory Provident Fund to the subscriber / applicant.

29.	(1) A separate wing in the Department for the implementation of these . rules will be established in the office of Director . (2) Maintenance of Accounts regarding Contributory Provident Fund accumulation will also be maintained at the Department level.	Setting up wing for supervision of implementation section 4 and 16
30.	There shall be a committee consisting of:- (i) Secretary to Government of Haryana, Department of Education (ii) Secretary to Government of Haryana, Department of Finance; (iii) The Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana; and (iv) Director. The committee shall meet at least once in a year to review the position of the fund and its implementation and also make recommendations to the Government for Budget provision as required under these rules. The Secretary Education will be the Chairman of the committee and Director will be its Ex-officio Secretary.	Setting up of committee to reviw the position of fund section 4 and 16
31.	The Director shall administer, control and operate the fund.	Authority who will have overall control section 4 and 16
32.	The Accountant General(Audit), Haryana, shall audit the indvidual account of the fund.	Audit of account account section 4 and 16

CHAPTER VI

Adjustment and recovery of dues section 4 and 16

33. (1) The Managing Committee or Principal of the College shall take steps to assess the dues outstanding against the employee one year before the date on which he is due to retire on superannuation.

(2) The dues as assessed including those dues which come to the notice subsequently and which remain outstanding till the date of retirement of the employee, shall be adjusted against the amount of death-cum-retirement gratuity becoming payable to the employee on his retirement.

(3) When an employee retires from service, an office order shall be issued to that effect by the Managing Committee and copies thereof shall be endorsed to the Director.

(4). The employee shall not be entitled for the benefits available under these rules until the transfer of both the share(employer's and employee's) of his Contributory Provident Fund in the fund.

Power to withhold pension section 4 and 16

34. The Director shall have the right of withholding or withdrawing pension or any part of it, if the pensioner is convicted by Court of law of a serious crime or is guilty of a grave misconduct or proved in an enquiry conducted by the Government on or after retirement.

35. If any dispute arises between the employee and the Managing Committee relating to the delay in forwarding the pension papers of the employee, the matter shall be referred to the Director for decision whose decision shall be final and binding upon the parties.	**Arbitration** section 4 and 16
36. If any question or doubt arises as to the interpretation of these rules, Government shall decide the same.	**Interetation of the rules** section 4 and 16

.....

ANNEXURE – I
(SEE RULE 13)

Completed six-monthly periods of qualifying service.		Scale of service gratuity
1.		2.
1.	1/2	month's Emoluments
2.	1	month's Emoluments
3.	1-1/2	month's Emoluments
4.	2	month's Emoluments
5.	2-1/2	month's Emoluments
6.	3	month's Emoluments
7.	3-1/2	month's Emoluments
8.	4	month's Emoluments
9.	4-3/8	month's Emoluments
10.	4-3/4	month's Emoluments
11.	5-1/8	month's Emoluments
12.	5-1/2	month's Emoluments
13.	5-7/8	month's Emoluments
14.	6-1/4	month's Emoluments
15.	6-5/8	month's Emoluments
16.	7	month's Emoluments
17.	7-3/8	month's Emoluments
18.	7-3/4	month's Emoluments
19.	8-1/8	month's Emoluments

FORM 1
(See Rule 3(1))

(AN AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THE MANAGING COMMITTEE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RETIREMENT BENEFITS TO THE EMPLOYEES)

An agreement made on this _____ day of _____ between Managing Committee (hereinafter called the, "Management ", which expression shall include its successor of the ONE part and the Governor acting through _____ (hereinafter referred to as the "Government") of the other part)

Whereas the Government has decided to grant Retirement Benefit in lieu of Contributory Provident Fund to the employees of affiliated aided Colleges _____ in accordance with the procedure specified by the Govt. subject to the condition that the Management of the concerned affiliated aided Colleges shall execute an agreement to abide by the provisions of the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules,1999 and instructions issued from time to time in this respect by the Government.

And, whereas the Management_____ vide Resolution No._____ dated _____ in fulfilment of the conditions for the grant of retirement benefits in lieu of the Contributory Fund, has agreed to abide by the provisions of the Haryana affiliated colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules 1999 and instructions issued from time to time by the Government in this regard ;

And, whereas the existing employees, heithertofore governed by the Contributory Provident Fund are to be governed now by the Haryana Affiliated Colleges

(Pension and Contributory Provident Fund) Rules 1999 , stipulating that Management's share and the Government's share of the Contributory Provident Fund from the date of their admittance to the Contributory Provident Fund along with the interest accrued thereon upto the date of commencement of said rules, are to be transferred the Director

And , whereas the Management has also agreed to continue to contribute its share as such of the pay as may be fixed from time to time by the Director as Contributory Provident Fund of the employees to the fund under the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules 1999 and this contribution shall be transferred to the Director.

Now, therefore, in pursuance of the said agreement , the Management hereby agrees that it shall duly, faithfully and punctually perform all the conditions set out in the agreement. In the event of the failure of the Management to act on the said conditions, the Director, shall be entitled to deduct any amount due to the Management from the amount of the Grant-in-aid being issued to the Management and shall take such action against the Management as may be deemed proper with in the framework of the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules 1999.

In witness whereof the parties have signed, this deed on the date respectively mentioned against their signatures.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF HARYANA	FOR AND ON BEHALF OF THE MANAGEMENT
1. SIGNATURE _____	1. SIGNATURE _____
2. NAME (BLOCK LETTERS) _____	2. NAME (BLOCK LETTERS) _____
3. DATE _____	3. DATE _____
4. SIGNATURE _____	4. SIGNATURE _____
WITNESS – I	**WITNESS – I**
SIGNATURE _____	SIGNATURE _____
NAME _____	NAME _____
DATE _____	DATE _____
DESIGNATION _____	DESIGNATION _____
ADDRESS _____	ADDRESS _____
WITNESS – II	**WITNESS – II**
SIGNATURE _____	SIGNATURE _____
NAME _____	NAME _____
DATE _____	DATE _____
DESIGNATION _____	DESIGNATION _____
ADDRESS _____	ADDRESS _____

ACKNOWLEDGEMENT

Received from Shri/Smt. _____

Designation _____ Office _____

option and undertaking dated _____

Dated : (With Seal and Full Name in Block Letters)

FORM – II
[See Rule 3(1)]

UNDERTAKING
(IN TRIPLICATE)

Having read the instructions issued vide Haryana Government Notification No. _____ dated _____ and fully understood the comparative advantages and disadvantages of these rules as applicable in my case :

(1) (a) I undertake to abide by all the instructions referred to above and as may be amended and issued from time to time in this regard.

(b) I undertake to refund the amount on account of my and employer's share as worked out by the Director.

WITNESS:

(1) SIGNATURE_____

DATE_____

Name in full_____
(IN BLOCK LETTERS)

Designation_____

(2) Signature_____

Date_____

Designation : _____
(Principal/)

Designation :_____

Signature of the employee

_____

DATE_____

Name in full_____
(IN BLOCK LETTERS)

VISHNU BHAGWAN
FINANCIAL COMMISSSIONER
AND SECRETARY TO GOVT.
HARYANA , EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH.